**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर**

**प्रथम अपील (वैवाहिक) सं 40/2018**

निर्णय सुरक्षित किया गया : 10/07/2025

निर्णय पारित किया गयाः 03 /09/2025

गुहा सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति सतनामी, पिता श्री बाल्मीकि जांगड़े, निवासी जंगल साइड बंकीमोंगरा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (सी. जी.)।

**---- अपीलकर्ता**

**बनाम**

श्रीमती. किरण जांगड़े, 29 वर्ष ,पिता गुहा सिंह, जाति सतनामी, निवासी क्यू. टी. आर. सं बी–225, प्रगति नगर दीपका, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (सी. जी.)

**-----उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

अपीलार्थी हेतु :श्री राम कुमार तिवारी, श्री एफ. एस. खरे तथासुश्री नीलू सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :सुश्री रुचि नागर, अधिवक्ता।

---

**माननीय श्रीमती रजनी दुबे , न्यायाधीश**

**तथा**

**माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश**

**(सी. ए. वी. निर्णय)**

**रजनी दुबे, न्यायाधीश के अनुसार,**

1. यह अपील आवेदक–पति द्वारा विद्वान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, शिविर न्यायालय, कटघोरा, जिला कोरबा द्वारा सिविल वाद क्रमांक 53–ए/2015 में पारित दिनांक 07.12.2017 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत आवेदक–पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज

कर दिया गया था।इस अपील के पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार निम्न न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया जाएगा।

2. मामले के संक्षेप में तथ्य यह है कि आवेदक–पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 13 (1) (I) और (ia) के अंतर्गत उल्लिखित आधारों पर विवाह विच्छेद हेतु डिक्री का दावा करते हुए वाद प्रस्तुत किया था।आवेदन में यह तर्क दिया गया था कि आवेदक का विवाह अनावेदक के साथ 11.02.2010 को संपन्न हुआ था और उनके विवाह से एक पुत्री निधि का जन्म हुआ था। आवेदक के अनुसार, विवाह के कुछ समय बाद अनावेदक का रवैया असहयोगात्मक एवं झगड़ालू हो गया। अनावेदक ने जानबूझकर अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया और आवेदक के साथ–साथ उसके वृद्ध माता–पिता के प्रति अनादर दिखाने का रवैया अपनाया।अनावेदक ने आवेदक को बार–बार उसके माता–पिता और आश्रित भाइयों से अलग रहने के लिए मजबूर किया।आवेदक एसईसीएल का कर्मचारी है और उसकी नौकरी की शर्तों के कारण, उसकी सेवाएँ एसईसीएल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थानांतरणीय और पदस्थापित थीं। अनावेदक अपने ससुराल में रहने के बजाय, आवेदक का साथ छोड़कर अपने माता–पिता के घर चली गई।आवेदक ने उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भरण–पोषण का पूरा प्रयास किया। आवेदक ने एसईसीएल अस्पताल में उसके इलाज की भी व्यवस्था की।आवेदक ने अनावेदक से बार–बार अपने साथ रहने और उसके ससुराल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन अनावेदक ने आवेदक को साफ मना कर दिया।अनावेदक ने आवेदक को बार–बार उसके माता–पिता से अलग रहने के लिए मजबूर किया।वाद में यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदक मई, 2011 से अलग रह रही है और उसे वापस लाने के आवेदक के सभी प्रयास व्यर्थ गए।दिसंबर, 2011 में समुदाय के वरिष्ठों की एक बैठक भी बुलाई गई, लेकिन अनावेदक ने फिर से आवेदक के साथ रहने से इनकार कर दिया।आवेदक ने अनावेदक को वापस लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत एक आवेदन भी दायर किया। इसके बाद अनावेदक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) के तहत एक झूठी दाण्डिक परिवाद दर्ज कराया तथा उसके परिवार के समस्त सदस्यों को फंसाया।हालाँकि, सत्र विचारण संख्या 20/2019 में पारित दिनांक 11.08.2021 के निर्णय द्वारा, आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को आरोप से बरी कर दिया गया है और उसने दिनांक 11.08.2021 के निर्णय को अभिलेख पर लेने के लिए आई.ए. सं.04/2025 दायर किया है।अनावेदक ने भी दं. प्र. सं. की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया है और आवेदक नियमित रूप से अपना भरण–पोषण भुगतान कर रहा है।इसलिए, वह क्रूरता के आधार पर अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है।

3. अनावेदक ने अपने जवाब में, स्वीकार किए गए तथ्यों को छोड़कर शेष आरोपों से इनकार किया और कहा कि आवेदक ने तालचर से कोरबा तक उसके स्थानांतरण और माल के परिवहन के लिए 40,000/– रुपये की मांग की थी।40,000/– रूपये में से 20,000/– रूपये अनावेदक के पिता द्वारा दिये गये तथा 20,000/– रूपये किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर आवेदिका के साथ उसके वैवाहिक दायित्व को पूरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के लिए चले गये।अनावेदक सदैव आवेदिका के साथ रहना चाहती थी, किन्तु आवेदिका एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार परेशान किये जाने के कारण, आवेदिका को मजबूरन दीपका में अपने माता–पिता के साथ रहना पड़ा।अनावेदक ने यह तथ्य स्वीकार किया कि उसने दहेज के लिए क्रूरता का मामला दर्ज कराया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।इसी तरह, उसने घरेलू हिंसा और भरण–पोषण का मामला दायर किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है और इस प्रकार, आवेदक के उत्पीड़न के कारण वह अलग रह रही है। अनावेदक द्वारा विशेष रूप से यह दावा किया गया कि विवाह में, नकदी और सोने–चाँदी के आभूषणों सहित सभी आवश्यक वस्तुएँ आवेदक को दी गई थीं और बच्चे के जन्म के बाद, संपूर्ण चिकित्सा व्यय अनावेदक के पिता द्वारा वहन किया गया था।आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने 5 लाख रुपये की मांग की क्योंकि अनावेदक ने एक लड़की को जन्म दिया था और लड़की के जन्म के बाद आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार बदल गया था।यह भी आरोप लगाया गया कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने स्वयं अनावेदक को वैवाहिक घर से निकाल दिया और तब से अनावेदक अपने माता–पिता के साथ रह रही है। आगे तर्क दिया गया कि दिनांक 13.12.2011 को अनावेदक के घर पर एक सामाजिक बैठक बुलाई गई थी जिसमें अनावेदक को अपमानित किया गया तथा आवेदिका ने उसे वैवाहिक घर ले जाने से इंकार कर दिया था। आवेदिका द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र में दिए गए आश्वासन के बावजूद, आवेदिका अनावेदक को अपने साथ नहीं ले गई।इसके बाद, आवेदिका ने कटघोरा उप जिलाधिकारी के न्यायालय में धारा 97, 98 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनावेदक उपस्थित हुआ और आवेदिका के साथ जाने को तैयार था, परन्तु आवेदिका अनावेदक और उसकी पुत्री को साथ नहीं ले गई।यह भी तर्क दिया गया कि आवेदिका एसईसीएल गेवरा में माइनिंग सरदार के पद पर पदस्थ है, वह अनावेदक को बाहर जाकर दूसरों से बात करने नहीं देता था। यहाँ तक कि वह उसे टेलीविजन देखने भी नहीं देता था और लगातार उसे परेशान करता था।इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि आवेदक द्वारा विवाह विच्छेद के लिए दायर आवेदन को खारिज किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद आवेदक के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदक गैर–आवेदक द्वारा क्रूरता और परित्याग को साबित करने में विफल रहा है।इसलिए, यह अपील आवेदक–पति द्वारा दायर की गई है।

5. आवेदक–पति के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान परिवार विधि द्वारा पारित विवादित आज्ञप्ति तथा डिक्री खराब, अवैध, मनमाना तथा मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर लागू विधि के विपरीत है। विद्वान परिवार न्यायालय  यह समझने में विफल रहा कि अनावेदक बिना किसी उचित कारण के अलग रह रहा है।अनावेदक ने जानबूझकर आवेदक की कंपनी में शामिल होने से इनहेतुर कर दिया है क्योंकि वह संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहती थी।विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर भी विचार करने में विफल रही है कि

आवेदक ने ठोस और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अनावेदक द्वारा की गई क्रूरता को साबित कर दिया है। अनावेदक आवेदक के माता-पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति दुर्व्यवहार करता था।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अनावेदक ने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत आपराधिक मामले में फंसाया था, जिसमें उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2021 के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया था।आवेदक ने अनावेदक को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत आवेदन भी दायर किया है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि आवेदक नियमित रूप से अनावेदक को भरण-पोषण भत्ता दे रहा है और प्रतिवादी के चिकित्सा उपचार और उचित देखभाल की हमेशा व्यवस्था करता रहा है।अनावेदक ने न्यायालय परिसर में आवेदक पर हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी और आवेदक ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सिद्ध भी किया था।विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है। अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि अनावेदक द्वारा क्रूरता की गई थी।इस प्रकार, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है तथा आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सत्र विचारण संख्या 20/2019 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 11.08.2021 के निर्णय की प्रति अभिलेख पर लेने के लिए सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत आई.ए.सं. 04/2025 भी दाखिल किया है, जिसके तहत अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को आई.पी.सी. की धारा 498-ए/34, 307 और 323/34 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2017 को आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित की गई थी और उस समय अपीलकर्ता के विरुद्ध दाण्डिक मामला लंबित था और इस अपील के लंबित रहने के दौरान, विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा (छत्तीसगढ़) ने दिनांक 11.08.2021 को अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए निर्णय पारित किया।अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2013) 5 एससीसी 226 पर भरोसा जताया गया।

7. दूसरी ओर, अनावेदक-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हुए और आई.ए. संख्या 04/2025 का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया और आवेदक-पति के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और केवल आईपीसी की धारा 498-ए के तहत वाद दायर किया और दोषमुक्त होना विवाह विच्छेद के लिए क्रूरता का आधार नहीं हो सकता है।अतः, यह आवेदन और अपील बिना किसी योग्यता के खारिज किए जाने योग्य हैं।विद्वान अधिवक्ता ने **मंगयाकरासी बनाम एम. युवराज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय**

**के निर्णय (2020) 3 एससीसी 786, और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01.03.2024 के एमएटी.एपीपी.(एफ.सी.) 241/2023 और सीएम एपीपीएल. 729/2000 में** पारित निर्णय पर भरोसा जताया गया।

8. तदनुसार, दिनांक 11.08.2021 के निर्णय को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लेने के लिए आई.ए. संख्या 04/2025 को अनुमति दी जाती है और दिनांक 11.08.2021 के निर्णय को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है

10. विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति है कि आवेदक और अनावेदक का विवाह 11.02.2010 को हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और उनके विवाह से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो अब अनावेदक के साथ रह रही है।

11. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क के आधार पर 04 विवाद्यक तैयार किए, जिनमें से विवाद्यक संख्या 1 और 2 महत्वपूर्ण होने के कारण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| क्र. | वाद प्रश्न | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| 01. | क्या अनावेदिका/पत्नी आवेदक/पति को अनेक प्रकार क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित किया है ? | नही। |
| 02. | क्या अनावेदिका/पत्नी आवेदक/पति को विगत दो वर्षो से अधिक समय से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने दाम्पत्य सुखों से वंचित किया है ? | नही। |

12. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया कि आवेदक दोनों ही मुद्दों को साबित करने में विफल रहा है और विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद हेतु आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया।विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि दोनों पक्षों ने एक–दूसरे के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराई थी और उनके वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे, परन्तु विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 19 में पाया कि अनावेदक अनावेदक की ओर से क्रूरता साबित करने में विफल रहा है और कंडिका 20 में पाया कि आवेदक के विरुद्ध दहेज की मांग और प्रताड़ना से संबंधित दाण्डिक विचारण अभी भी लंबित है।अतः, अनावेदक के पास अलग रहने के पर्याप्त कारण हैं।

13. आवेदक ने सीपीसी के आदेश 18 नियम 4 के तहत दायर अपने साक्ष्य में कहा है कि अनावेदक ने उसके खिलाफ विभिन्न शिकायतें दर्ज की हैं और आईपीसी की धारा 498–ए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आपराधिक मामला और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मामला विभिन्न न्यायालयों में उसके खिलाफ

लंबित है।उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए अनावेदक को वापस लाने का हर संभव प्रयास किया लेकिन वह नहीं आई, इसके बाद उन्होंने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, कटघोरा के समक्ष सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे विद्वान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया और 2011 से वह अलग रह रही है। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने अनावेदक के इस कथन का खंडन किया कि वे अनावेदक और उसकी बेटी को लेने नहीं गए थे और उसे यह कहकर ताना मारते थे कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है।उन्होंने इस कथन का भी खंडन किया कि उन्होंने अनावेदक से कहा था कि वह 5 लाख रुपये लेकर आए, तभी वह उसे रख लेंगे।उन्होंने इस कथन का भी खंडन किया कि अनावेदक के पिता ने एक सामाजिक बैठक बुलाई थी और उन्होंने स्वयं कहा था कि सामाजिक बैठक उनके द्वारा बुलाई गई थी।

14. रामलाल जागड़े (एडब्लू-2), मेलू राम (एडब्लू-3) और सदाराम (एडब्लू-4) ने आवेदक के मामले का समर्थन किया और कहा कि अनावेदक आवेदक के साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है।

15. अनावेदक (एनएडब्लू-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आवेदिका ने दहेज में पैसे की मांग की थी और जब वह गर्भवती हो गई तो आवेदिका ने उसे उसके मायके में छोड़ दिया।जुलाई 2011 में प्रार्थिनी उसे मायके ले गई।मई माह में जब प्रार्थिनी उसे नहीं ले गई तो उसके पिता उसे ससुराल बांकीमोगरा छोड़ आए क्योंकि उसके ससुराल वालों का कहना था कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए वे उसे नहीं रखेंगे। उसने यह भी बताया कि दिनांक 26.10.2011 को उसके ससुराल वालों ने प्रार्थिया को उसके साथ मारपीट करने के लिए उकसाया, तत्पश्चात प्रार्थिया व उसके दोनों भाइयों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके ससुर ने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली थी, तथा इस घटना के बाद उसके पिता उसे मायके ले गए। प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात से इंकार करते हुए कहा कि वह अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती है।उसने इस बात से भी इनकार किया है कि आवेदक उसकी अच्छी देखभाल कर रहा था।उसने इस बात से भी इनकार किया है कि वह आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक/अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती थी।उसने इस बात को स्वीकार किया है कि वह 5-6 वर्षों से अपने मायके में रह रही है और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं था।उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि आवेदक ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक सामाजिक बैठक बुलाई थी।उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह आवेदक के वेतन से भरण-पोषण के रूप में प्रति माह रु.13,000/- प्राप्त कर रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अनावेदक की माता राजकुमारी (एन.ए.डब्लू.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आवेदिका ने उसकी पुत्री को मायके में छोड़ दिया था और उसे वापस लेने नहीं आई।उसने यह भी कहा है कि उसकी पुत्री के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे और उसे खाना नहीं देते थे।प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया है कि वह अपनी बेटी के कहने पर यातना के बारे में बयान दे रही है।उसने स्वीकार किया है कि आवेदक का एक संयुक्त परिवार है।

17. अनावेदक के पिता भरत लाल (एनएडब्ल्यू–3) ने भी यह बात स्वीकार की है कि उनकी बेटी 5–6 वर्षों से उनके साथ रह रही है।

18. दोनों पक्षों के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक 2011 से अलग रह रहा है और उसने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498–ए, 324 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी और दिनांक 11.08.2021 के फैसले के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए/34, 307, 323/34 के तहत आरोप से दोषमुक्त करने के निर्णय में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि आवेदक मारपीट की घटना के बाद 26.10.2011 से अलग रह रहा था और अनावेदक द्वारा 08.03.2013 को अर्थात् लगभग 1 वर्ष और 5 महीने की विलंब के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।विद्वान सत्र न्यायालय ने यह भी पाया कि परिवादी/ अनावेदक और उसके साक्षी के बयान विश्वसनीय नहीं हैं और इस प्रकार आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अनावेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत आवेदक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराई थी और दिनांक 12.04.2017 के निर्णय के तहत, विद्वान सत्र न्यायाधीश, कटघोरा द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवास (सुप्रा) में कंडिका28 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :–––

28. इस परिवाद के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत मामला दर्ज किया। अपीलकर्ता पति और उसके माता–पिता को अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन करना पड़ा, जो उन्हें मंजूर कर ली गई।बाद में, उत्तरवादी पत्नी ने परिवाद वापस ले ली।वापसी के बाद, पुलिस ने खत्मा रिपोर्ट दायर की। इसके बाद, उत्तरवादी पत्नी ने एक विरोध याचिका दायर की। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता पति और उसके माता–पिता के खिलाफ मामले का संज्ञान लिया (सीसी संख्या 62/2002)।ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तरवादी पत्नी ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपीलकर्ता पति और उसके माता–पिता को दोषमुक्त किए जाने और आईपीसी की धारा 498–ए के तहत दंडनीय अपराध से भी उसके माता–पिता को दोषमुक्त किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की थी। उसने आईपीसी की धारा 498–ए के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता पति को दी गई सजा बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।जब अपीलकर्ता पति द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए दायर की गई आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया गया और उसे दोषमुक्त कर दिया गया, तो प्रतिवादी पत्नी ने उक्त दोषमुक्त किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की।

इस अवधि के दौरान उत्तरवादी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों ने भी उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता पति के खिलाफ परिवाद दर्ज कराई ताकि उसे नौकरी से हटाया जा सके।उत्तरवादी पत्नी द्वारा अपनी सास के विरुद्ध निराधार, अभद्र और अपमानजनक आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराने, अपीलार्थी पति को दी गये दंड को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर करने, अपीलार्थी पति और उसके माता–पिता को बरी किए जाने पर सवाल उठाते हुए अपील दायर करने के आचरण से यह संकेत मिलता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि उसे और उसके माता–पिता को जेल में डाल दिया जाए और उसे नौकरी से हटा दिया जाए।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आचरण से अपीलकर्ता पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है।"

21. क्रूरता और एक–दूसरे के विरुद्ध आरोप के विवाद्यक पर विचार करते हुए, **इस न्यायालय ने डॉ. रामकेश्वर सिंह बनाम श्रीमती शीला सिंह @ मधु सिंह [तटस्थ उद्धरण संख्या 2022: सीजीएचसी: :15007–डी बी ] के मामले में** कंडिका 26 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया–––

**26. इसके अलावा, वैवाहिक मामले में एक–दूसरे पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति से पता चलता है कि 1996 से, दोनों पक्ष अलग–अलग रह रहे हैं और अलग–अलग न्यायालय में वाद लड़ रहे हैं। ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विवाह में ऐसी दरार आ गई है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है।इन परिस्थितियों में, हम अपील स्वीकार करते हैं और पति को विवाह विच्छेद का आदेश देते हैं। पक्षों के बीच संपन्न विवाह विच्छेद माना जाता है और तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान मामले में, अनावेदक ने स्वीकार किया है कि वह 2011 से अलग रह रही है और यह स्पष्ट है कि अपने मायके में रहने के दौरान, उसने वर्ष 2013 में आईपीसी की धारा 498–ए और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 (1) के तहत परिवाद दर्ज कराई थी।रामलाल (एडब्लू–2) और मेलूराम (एडब्लू–3) ने कहा है कि आवेदिका ने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए सामाजिक बैठक बुलाई थी और अनावेदक ने इस तथ्य से इनकार किया और कहा कि उसके पिता ने सामाजिक बैठक बुलाई थी लेकिन उसके पिता भरत लाल पटेल (एनएडब्लू–3) ने मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया है कि उन्होंने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए कोई सामाजिक बैठक नहीं बुलाई थी।23. विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, **जिसमें** बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती (एआईआर 1957 एससी 176) का निर्णय भी शामिल है, परित्याग साबित करने के लिए दो आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए:(i) अलगाव का तथ्य, और (ii) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (एनिमस डेसेरेन्डी)।इस मामले में दोनों तत्व मौजूद हैं।अपीलकर्ता द्वारा उसे वापस लाने के लिए बार–बार प्रयास करने, जिसमें सामाजिक बैठक बुलाना और सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत आवेदन दायर करना शामिल था, के बावजूद, अनावेदक वापस नहीं लौटा और वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए आवेदक के साथ शामिल नहीं हुआ।

24. इसके अलावा, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. के मामले में.निर्मल सिंह पनेसर बनाम. परमजीत कौर पनेसर @ अजिंदर कौर ने** (2025) 3 एससीसी 790 में रिपोर्ट की हैअंतर्गत:---

**"12. इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दायर तलाक की कार्यवाही में "परित्याग" किसे कहा जा सकता है, इस बारे में भी कानून सुस्थापित है। "परित्याग" शब्द इस न्यायालय की न्यायिक जाँच के अंतर्गत बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह बनाम प्रभावती [1956 एससीसी ऑनलाइन एससी 15 : एआईआर 1957 एससी 176] में आया था, जिस पर लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना [1963 एससीसी ऑनलाइन एससी 32 :एआईआर 1964 एससी 40] में पुनः विचार किया गया था।इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों में की गई टिप्पणियों को जोड़ते हुए अपना विचार इस प्रकार व्यक्त कियाः(लछमन उतमचंद कृपलानी मामला, एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. कंडिका 40)**

**"40..... उपरोक्त टिप्पणियों को एकत्रित करते हुए, इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस प्रकार कहा जा सकता है: परित्याग के आधार पर तलाक चाहने वाले याचिकाकर्ता पर चार आवश्यक शर्तें साबित करने का भारी भार है, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य; (2) शत्रुता; (3) उसकी सहमति का अभाव; और (4) उसके आचरण का अभाव जो परित्यक्त पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण देता है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हाल ही में, देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी [(2022) 5 एससीसी 459:(2022) 3 एससीसी (सिविल) 82] में, न्यायालय ने लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी के निर्णय का उल्लेख देते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:(देबानंद तामुली मामला, एससीसी पृष्ठ 462, कंडिका 7-8)हमने उनकी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।सबसे पहले, हम परित्याग के विवाद्यक पर विचार करते हैं। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है।इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित विधि यह है कि परित्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की सहमति के बिना तथा बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर परित्याग करना।परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव की बात सच है और परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने की मंशा है।दूसरे शब्दों में, छोड़ने वाले पति या पत्नी की ओर से दुश्मनी होनी चाहिए।परित्यक्त पति/पत्नी की ओर से सहमति का अभाव होना चाहिए और परित्यक्त पति/पत्नी का आचरण परित्यक्त पति/पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण नहीं देना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अधिनियम 68, 1976 द्वारा धारा 13 की उप-(2025) 3 एससीसी धारा (1) में जोड़े गए स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है।उक्त व्याख्या इस प्रकार हैः

**13. विवाह विच्छेद:-**

**"(1)स्पष्टीकरणइस उपधारा में, "अभित्याग" पद का अर्थ विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के और ऐसे पक्षकार की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध याचिकाकर्ता का अभित्याग है, और**

**इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर की गई उपेक्षा भी है, और इसके व्याकरणिक रूपान्तरणों और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।"**

25. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी मामले में, जिसकी रिपोर्ट(2022) 5 एससीसी 459 में दी गई है,** डॉ. निर्मल सिंह पनेसर (सुप्रा) में प्रतिपादित उपरोक्त विधि की पुष्टि की है और दोहराया है कि वैवाहिक विधि में "परित्याग" का अर्थ है, बिना किसी उचित कारण के, बिना सहमति के या परित्यक्त पति या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पति या पत्नी का जानबूझकर और स्थायी रूप से परित्याग करना।इसके लिए अलगाव के तथ्य और परित्याग की मंशा (परित्याग का इरादा) दोनों की आवश्यकता होती है।साथ ही, दूसरे पक्ष के आचरण के आधार पर, परित्याग करने वाले पति या पत्नी के जाने का कोई उचित औचित्य भी नहीं होना चाहिए।इस स्थापित विधिक स्थिति को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है, जिसमें परित्याग को दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में, इस मामले में यह स्पष्ट है कि गैर–आवेदक वर्ष 2011 से अलग रह रहा है तथा अनावेदक और उसके पिता (एनएडब्लू–3) यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए कोई सामाजिक बैठक बुलाई थी तथा वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए आवेदक के साथ शामिल हुए थे।आवेदक और उसके साक्षी ने कहा है कि आवेदक ने एक सामाजिक बैठक बुलाई थी और उप–मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत एक आवेदन भी दायर किया था और अनावेदक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह सीआरपीसी की धारा 97 और 98 की कार्यवाही में उप–मंडल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में, अनावेदक ने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498–ए और 307 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था।यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक ने भी आवेदक के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम तथा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण–पोषण के लिए आवेदन दायर किया था।अतः अनावेदक के आचरण से स्पष्ट है कि उसने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मानसिक और शारीरिक क्रूरता की है तथा उसने बिना किसी पर्याप्त और न्यायोचित कारण के आवेदक का साथ छोड़ दिया है, लेकिन विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया।इस न्यायालय की राय में, विद्वान पारिवारिक न्यायालय का निष्कर्ष विकृत है और इस मामले के नियमों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।इस प्रकार, विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है।

27. स्थायी गुजारा भत्ते के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवास (सुप्रा) मामले में कंडिका 36 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–––

**36. यद्यपि हमारा मत है कि तलाक का आदेश अवश्य दिया जाना चाहिए, फिर भी हम प्रतिवादी पत्नी की दुर्दशा से अवगत हैं।अपीलार्थी पति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक पंजीयक के रूप में काम कर रहा है।उसे अच्छा वेतन मिल रहा है।उत्तरवादी पत्नी ने 10 वर्ष से अधिक समय तक वाद लड़ा।ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी तरह से अपने माता-पिता तथा अपने भाई पर निर्भर है, इसलिए, उसका भविष्य अपीलार्थी पति को उसे स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश देकर सुरक्षित किया जाना चाहिए।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मत है कि अपीलकर्ता पति को प्रतिवादी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 15,00,000/- रुपये (केवल पंद्रह लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।"**

28. वर्तमान मामले में भी,अनावेदक तथा उसकी बेटी गैर-आवेदक के पिता भरत लाल पटेल (एन. ए. डब्ल्यू.-3) पर निर्भर हैं।आवेदक दण्ड प्रकिया संहिता धारा 125 के तहत स्थापित एक मामले में विद्वान परिवार न्यायालय के आदेश के आधार पर भरण पोषण के रूप में अनावेदक को प्रति माह रु.13,000/- दे रहा है। आवेदक एसईसीएल में खनन सूबेदार के रूप में काम कर रहा है तथा उसे अच्छा वेतन मिल रहा है। इसलिए हमारी राय है कि आवेदक तथा रु.15,00,000/- (रु। पंद्रह लाख केवल)अनावेदक तथा स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आज्ञप्ति तथा डिक्री को अपास्त किया जाता है। आवेदक और अनावेदक के बीच विवाह तलाक के आदेश द्वारा भंग कर दिया गया हैआवेदक-पति अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (I) तथा (ia) के तहत गणना किए गए आधार पर विवाह के विघटन हेतु आज्ञप्ति का हकदार है।आवेदक को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर अनावेदक को 15,00,000/- रुपये की राशि में स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान करना होगा।इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

30. इस प्रकार अपील को स्वीकृति दि गयी है।तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

**(रजनी दुबे)**

**न्यायाधीश**

सही/-

**(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)**

**न्यायाधीश**

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur